

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,  
मीरजापुर क्षेत्र,  
मीरजापुर।

विषय:- एन०टी०पी०वी० रिहन्दनगर वीजपुर-सोनमद्र द्वारा जनपद-सोनमद्र के रेनुकूट वन प्रभाग के अंतर्गत रिहन्द सुपर थर्मल पावर परियोजना के निर्माण में प्रभावित 555.759 हे० आरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग के नियमितकरण के संबंध में।

संदर्भ:- आपका पत्रांक-2130/नी०क्ष०/33, दिनांक 14.12.2022

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण का प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त ऑनलाइन व हार्डकापी में निम्नलिखित कमियाँ/अभिलेखों का आभाव पाया गया:-

1. याचक विभाग तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण-पत्र प्रस्ताव में संलग्न नहीं किया गया है। अतः संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।
2. प्रस्ताव में प्रभावित आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष प्रीमियम एवं प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट वन विभाग के पक्ष में भुगतान किये जाने की वचनबद्धता स्पष्ट नहीं है। अतः प्रीमियम एवं प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट वन विभाग के पक्ष में भुगतान किये जाने की स्पष्ट वचनबद्धता संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।
3. प्रस्ताव में संलग्न लीज अवधि प्रमाण पत्र में लीज अवधि 30 वर्ष जबकि ऑनलाइन पार्ट-1 में लीज अवधि 99 वर्ष अंकित है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः सही लीज अवधि प्रमाण पत्र में अंकित कर ऑनलाइन अपलोड करें।
4. लागत लाभ विश्लेषण सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु लागत लाभ विश्लेषण में एन०पी०वी० की दर पूर्व की दर के अनुसार ली गयी है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः नई संशोधित दर के अनुसार लागत लाभ विश्लेषण संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।
5. प्रभावित आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष 832 हे० अवनत वनभूमि पर 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न है, किन्तु संलग्न प्राक्कलन में तथा मुख्य वन संरक्षक एवं प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र में CA की धनराशि, पूर्व में कराये गये वृक्षारोपण के क्षेत्रफल एवं वर्तमान में प्रस्तावित वृक्षारोपण के क्षेत्रफल में भिन्नता है। अतः सही स्थिति स्पष्ट कर सही प्राक्कलन एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख व सूचना प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।
6. प्रस्ताव में 188.241 हे० वनभूमि के अतिरिक्त क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का 639 हे० शुद्ध क्षेत्रफल का Geo Referenced Digital Map संलग्न किया गया है, जबकि CA के गोश्वारा में 643.759 हे० में वृक्षारोपण कराये जाने का उल्लेख है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः प्रस्ताव में 188.241 हे० वनभूमि के अतिरिक्त क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित कुल स्थलों का सही क्षेत्रफल, Geo Referenced Digital Map, टोपोशीट संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।
7. ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-13 में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित 188.241 हे० क्षेत्रफल की कै०एम०एल० फाइल एवं उससे सम्बन्धित विवरण, Geo Referenced Digital Map, टोपोशीट अपलोड नहीं की गयी है।
8. ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-13(i) में अपलोड की गयी CA की कै०एम०एल० फाइल का सकल क्षेत्रफल अपलोड किया गया है, जोकि शुद्ध वृक्षारोपण क्षेत्रफल से अधिक हो रहा है। अतः CA की कै०एम०एल० फाइल का शुद्ध क्षेत्रफल अपलोड करें।
9. प्रस्ताव में प्रस्तावित वनभूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य जमा किये जाने की वचनबद्धता संलग्न है, किन्तु वचनबद्धता में 29 करोड़ रु० पूर्व में जमा किये जाने का उल्लेख किया गया है, जबकि एन०पी०वी० की गणना में पूर्व में धनराशि रु० 258067360/- एन०पी०वी० के रूप में जमा किये जाने का उल्लेख किया गया है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः पूर्व में जमा की गयी एन०पी०वी० की सही धनराशि, वचनबद्धता एवं एन०पी०वी० की गणना में उल्लेख कर ऑनलाइन अपलोड करें।
10. प्रस्ताव में मुख्य वन संरक्षक की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न नहीं है।
11. ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड CA की धनराशि प्रस्ताव में अंकित CA की धनराशि एवं मुख्य वन संरक्षक एवं प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र में अंकित CA की धनराशि से भिन्न है। अतः ऑनलाइन भाग-2 में सही धनराशि अपलोड करें।
12. प्रस्ताव में प्रस्तावित वनभूमि के राजस्व मैप/कंडिस्ट्रल मैप में प्रस्तावित स्थलों के गाटों को चिन्हित नहीं किया गया है।
13. प्रस्ताव के पृष्ठ सं०-393 पर संलग्न CA गोश्वारा में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 280 हे० में पूर्व में क्षतिपूरक वृक्षारोपण कराये जाने का उल्लेख किया गया है, जबकि मुख्य वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र में 581 हे० में CA की धनराशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जमा किये जाने का उल्लेख है, जोकि विरोधाभास है। अतः सही गोश्वारा संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।

14. ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-16 में मुख्य वन संरक्षक की सस्तुति अपलोड नहीं है।
15. ऑनलाइन भाग-2 एवं प्रस्ताव से पूर्व के त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्रों को पृथक करते हुये संशोधित प्रमाण पत्र यथास्थान पर संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड करें।
16. प्रस्ताव की एक प्रति में पेनड्राइव संलग्न नहीं है तथा संलग्न पेनड्राइव में प्रस्तावित वनभूमि की एवं 188.241 वनभूमि की के0एम0एल0 फाइल अपलोड नहीं है। अतः उपरोक्त इगित कमियों का निराकरण कर पूर्ण प्रस्ताव की संशोधित एक पी0डी0एफ0 फाइल, जिसमें प्रस्तावित एवं CA की पूर्ण के0एम0एल0 फाइल हो, पेनड्राइव में अपलोड कर तीनों प्रस्ताव में संलग्न करें।

अतः कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव की 03 प्रतियाँ प्राप्त कराकर, इगित कमियों का निराकरण के पश्चात् पूर्ण संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को 03 प्रतियों में उपलब्ध करायें, ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

भवदीय,

18

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
30प्र0, लखनऊ।

पत्रांक:- 2217/11-सी-FP/UP/The/36097/2018, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट।
2. उप महाप्रबन्धक (मा0सं0), एन0टी0पी0सी0 रिहन्द सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, रिहन्दनगर, बीजपुर, जिला-सोनभद्र।

साक्षात्

18

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
30प्र0, लखनऊ।

मुख्य वन संरक्षक  
को कार्यालय  
पत्रांक -

मुख्य वन संरक्षक, गीरजापुर स्टेड, गीरजापुर  
2375 श्री 03/03 दिनांक. जनवरी 03 - 2023

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट को  
संज्ञा का प्रमाण है प्रेषित है कि उपरोक्त कमियों  
का निराकरण कर प्रमाण तत्काल उपलब्ध करना सुनिश्चित  
करें।

मुख्य वन संरक्षक  
गीरजापुर स्टेड, गीरजापुर